राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस, जयपुर 302001, कार्यालय दूरभाष : 0141-2374644

क्रमांकः एफ3/मु./सा./आई.टी./45/2021/1680 दिनांक 30/09/2021

मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
. . . . आगार।

विषयः– दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ होने वाले "प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग" अभियान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 से राज्य सरकार द्वारा "प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग" अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। इस अभियान में निगम द्वारा निःशुल्क/रियायती यात्राओं हेतु राजस्थान के पात्र नागरिकों के RFID स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु आवश्यक सुविधा कैम्प में प्रदान की जायेगी। निःशुल्क एवं रियायती यात्राओं हेतु **राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी श्रेणीयों के RFID कार्ड यथा वरिष्ठ नागरिक, विशेष योग्यजन, विद्यार्थी पास, पुरस्कृत शिक्षक इत्यादि (परिशिष्ट–अ)** के लिए इस अभियान में मौके पर ही कार्ड बनाने हेतु आवेदन पत्र तैयार कराये जाने है।

इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन जिनके द्वारा उक्त अभियान हेतु प्रतिदिन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, से सम्पर्क स्थापित कर इन शिविरों में निगम कार्मिक के माध्यम से RFID कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में RFID स्मार्ट कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार हैः–

1. **RFID स्मार्ट कार्ड ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से (आवेदक द्वारा)**:–
   i. निगम द्वारा पात्र नागरिकों की सुविधा हेतु RFID स्मार्ट कार्ड बनाये जाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल **https://rsrtcrfidsystem.co.in/SelfService/SelfLogin.aspx** तैयार कर दिया गया है। पोर्टल के लिंक पर पात्र व्यक्ति द्वारा स्वंय भी निःशुल्क/रियायती यात्रा हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
   ii. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पात्र आवेदक के पास संबंधित निःशुल्क/रियायती श्रेणी से संबंधित दस्तावेज (परिशिष्ट–अ के बिन्दु संख्या 4), स्वंय की फोटो, जन्म/आयु संबंधी प्रमाण पत्र एवं राजस्थान मूल निवास से संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि स्कैन प्रति (फोटो एवं प्रमाण पत्र का प्रत्येक का साईज 2 MB से ज्यादा नहीं) होना चाहिए।
   iii. आवेदक को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के दौरान RFID स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी के सम्बन्ध में दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैः–
      अ – यदि आवेदक RFID स्मार्ट कार्ड आगार कार्यालय से प्राप्त करना चाहता है तो इसका शुल्क रू 40/– निर्धारित किया गया है।
      ब – यदि आवेदक स्वंय के पते पर RFID स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना चाहता है तो RFID कार्ड के लिए निर्धारित रु 40/– शुल्क के साथ अतिरिक्त पोस्टल चार्जेज रू 75/– पृथक से देय होगा। इस प्रकार कुल रू 115/– की राशि निर्धारित की गई है।

Scanned with CamScanner

iv. आवेदक के ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भुगतान पश्चात SMS के माध्यम से आवेदक को एप्लीकेशन नं. प्राप्त हो जायेगा।

v. आवेदक द्वारा जिस आगार का स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी हेतु चयन किया गया है उस आगार द्वारा एडमिन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एप्लीकेशन के दस्तावेजों की जांच उपरांत Approve/ Reject की सूचना SMS के माध्यम से प्रेषित की जाकर प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

vi. आवेदक की एप्लीकेशन के Approve होने की स्थिति में कार्ड प्रिंट होने के लिए मुख्यालय पर प्राप्त हो जावेगा एवं मुख्यालय स्तर से प्रिंट किया जाकर 07 दिवस में संबंधित आगार/आवेदक के पते पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

2. <u>RFID स्मार्ट कार्ड ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से (निगम कर्मी द्वारा)</u>:–

i. निगम कर्मचारी द्वारा **http://rsrtcrfidsystem.co.in/Login.aspx** पर ई–मेल से प्रेषित लॉगिन आई.डी से लॉगिन कर इस पोर्टल का उपयोग शिविर में रजिस्ट्रेशन हेतु किया जाना है।

ii. निगम कर्मचारी द्वारा इस पोर्टल का उपयोग करने पर पात्र व्यक्ति का ऑनलाइन फार्म भरने के पश्चात RFID स्मार्ट कार्ड का शुल्क रु. 40/– निगम कार्मिक द्वारा नकद प्राप्त किया जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।

iii. यदि आवेदक स्वंय के पते पर RFID स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी चाहता है तो निगम कर्मी द्वारा RFID स्मार्ट कार्ड के निर्धारित शुल्क रु. 40/– के साथ अतिरिक्त रु. 75/– (पोस्टल चार्जेस) अर्थात पात्र व्यक्ति द्वारा कुल राशि रु. 115/– का भुगतान किया जायेगा।

iv. प्राप्त आवेदन आपके आगार के एडमिन पोटल पर प्रदर्शित होगा, जिसके दस्तावेजों की जांच उपरांत Approve/ Reject की सूचना SMS के माध्यम से प्रेषित की जाकर प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

v. आवेदक की एप्लीकेशन के Approve होने की स्थिति में कार्ड प्रिंट होने के लिए मुख्यालय पर प्राप्त हो जावेगा एवं मुख्यालय स्तर से प्रिंट किया जाकर 07 दिवस में संबंधित आगार/आवेदक के पते पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

3. <u>मैनुअल आवेदन</u>:–

i. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शिविर में कम्प्यूटर/इन्टरनेट की व्यवस्था के अभाव/ सेवा बाधित होने की दशाा में निगम द्वारा निर्धारित फार्म **(परिशिष्ट–ब)** में पात्र व्यक्ति से संबंधित श्रेणी के दस्तावेज एवं फोटो प्राप्त कर RFID स्मार्ट कार्ड शुल्क रु 40/– निगम कर्मचारी द्वारा कैश लिया जाकर रसीद संबंधित आवेदक को प्रदान कर दी जावेगी। इस स्थिति में आवेदक द्वारा RFID स्मार्ट कार्ड आगार कार्यालय से ही प्राप्त करना होगा।

Scanned with CamScanner

ii. यदि आवेदक स्वंय के पते पर RFID स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना चाहता है तो RFID कार्ड के लिए निर्धारित रु 40/– शुल्क के साथ अतिरिक्त पोस्टल चार्जेज रू 75/– पृथक से देय होगा। इस प्रकार कुल रु. 115/– निगम कर्मी द्वारा कैश प्राप्त किये जाने है।

iii. निगम कर्मचारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त हुए समस्त आवेदनों को आगार स्तर पर RFID स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उसी दिन सांयकाल संधारित किया जाकर आवेदन की प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण की जावेगी।

iv. आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मुख्यालय स्तर से कार्ड प्रिंट किया जाकर 07 दिवस में संबंधित आगार/आवेदक के पते पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

(Sd/- 30/9)
(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः एफ3/मु./सा./आई.टी./45/2021/1680 दिनांक : 30/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (परिवहन), राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार।
11. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क/संचालन), राज. परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(Sd/- 30/9)
(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ'अ'

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान सरकार के निर्देश/अनुमोदन अनुसार पात्रता पूर्ण नागरिको को विभिन्न श्रेणीयों में देय रियायती/निःशुल्क सुविधाओं का विवरण

क.सं.	श्रेणी	Category	पात्रता/दस्तावेज	देय यात्रा सुविधा	आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड शुल्क	राजस्थान की सीमा तक/राजस्थान की सीमा के बाहर देय सुविधा (हाँ/नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पत्रकार (एक्सप्रेस)	Press Reporter	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से जारी आदेशानुसार अधिकृत पत्रकार को जारी परिचय पत्र को जनसंपर्क शाखा रोडवेज मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	राजस्थान की सीमा एवं देहली तक यात्रा
2	पत्रकार (लग्जरी)	Press Reporter	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से जारी आदेशानुसार अधिकृत पत्रकार को जारी परिचय पत्र को जनसंपर्क शाखा रोडवेज मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	राजस्थान की सीमा एवं देहली तक यात्रा
3	स्वतंत्रता सैनानी	Freedom Fighter	1.राजस्थान सरकार से जारी स्वतंत्रता सैनानी के पेंशन प्रमाण पत्र के आधार पर, 2.राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र/ (मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड)	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	सभी वाहनों में जहां तक निगम वाहनें संचालित
4	स्वतंत्रता सैनानियों की विधवाऐं	Widow of Freedom Fighter	1.राजस्थान सरकार से जारी स्वतंत्रता सैनानी की विधवा के पेंशन प्रमाण पत्र के आधार पर 2.राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र/(मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड)	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	सभी वाहनों में जहां तक निगम वाहनें संचालित
5	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्द्धाओं में राज्य के पदक विजेता	International Level sports medal winner of the Rajasthan State	1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्द्धा का मूल प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र जन संपर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	समस्त वाहने श्रेणी (वोल्वो/लग्जरी के अतिरिक्त) जहां तक निगम की वाहनें संचालित है।
6	राष्ट्रपति मेडल फॉर गेलेन्ट्री (Gallantry) एवं पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड , नोटः– दिनांक 08.01.2014 से राज0 पुलिस के साथ BSF,CRPF & RAC को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।	Person Honored by Presidential Police Medal/Police for Gallantry Award	1. गेलेन्ट्री अवार्ड प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र जन संपर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	समस्त श्रेणी की वाहनें जहां तक संचालित होती है।
7	राष्ट्रपति मेडल फॉर सेवानिवृत गेलेन्ट्री (Gallantry) अवार्ड, एवं सेवानिवृत पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड	Person Honored by Presidential Police Medal/Police for Gallantry Award for Retirment	1. गेलेन्ट्री अवार्ड प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. सेवानिवृत पेशंन प्रमाण पत्र को जन संपर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	समस्त श्रेणी की वाहनें जहां तक संचालित होती है।
8	सशस्त्र सैना के शौर्य पदक धारक	Bravery medal holder of Armed Forces	1. शौर्य पदक प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. सेवानिवृत पेशंन प्रमाण पत्र को जन संपर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	समस्त श्रेणी की वाहनें जहां तक संचालित होती है।
9	पदम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	Person Honored by Padama Award	1. महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी पदम पुरस्कार प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र को जन संपर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	समस्त श्रेणी की वाहनें जहां तक संचालित होती है।
10	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकायें कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु स्कूल जाने व आने के लिए (घर से स्कूल तक)	Girls of Schedule cast and reside in tribal area who are studying upto Class 8 (Onlly for going to & fro school)	1. विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र 2. शिडयूल III Head School से सत्यापित 3. फीस की रसीद 4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र या अंकतालिका जिसमें जन्मतिथि अंकित हो 5. मूल निवास प्रमाण पत्र, आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाओं हेतु उपरोक्त दस्तावेज उसी आदिवासी क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, राज्य सीमा में , घर से स्कूल तक
11	नेत्रहीन / अंधता	Blind / Enduring Blindness	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का 100 प्रतिशत नेत्रहीन/अंधता का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, जहां तक वाहनें संचालित होती है।
12	कम दृष्टि निःशक्तता	due to lower vision/eyesight	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र Below 60% 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, जहां तक वाहनें संचालित होती है।

13	श्रवण बाधित	Hearing - impaired	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, जहां तक वाहनें संचालित होती है।
14	विशेष योग्यजन – **(विकलांग (अस्थि)/चलन निःशक्तता)**	Physically Handicapped-	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, जहां तक वाहनें संचालित होती है।
15	मानसिक विमन्दित/मंदता	Mentally Retired	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र जिसमें I.Q. 70% से कम हो 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, जहां तक वाहनें संचालित होती है।
16	मानसिक रोगी	Enduring Mental Disease	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं का प्रमाण पत्र 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, जहां तक वाहनें संचालित होती है।
17	कुष्ट रोग मुक्त	Leprosy Cured Person	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में, जहां तक वाहनें संचालित होती है।
18	हिमोफिलिया	Himofiliya	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र व व्यक्ति भिक्षुक नहीं हो।	75 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	घर से अस्पताल तक साधारण/द्रुतगामी वाहनों में
19	असंक्रामक कुष्ठ रोगी	Asankramak Leprosy Patient	इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण–पत्र के आधार पर	75 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	घर से अस्पताल तक साधारण/द्रुतगामी वाहनों में
20	थैलीसिमिया रोगी	Thelisemia Patient	इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण–पत्र के आधार पर	75 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	घर से अस्पताल तक साधारण/द्रुतगामी वाहनों में
21	विद्यार्थी पास अध्ययन हेतु स्कूल जाने व आने के लिए (घर से स्कूल तक 50 कि0मी0 सीमा तक) **नोटः– आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 15 मई तक ही मान्य होगा**	Student Passenger	1. विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र 2. शिडयूल III को Head of School/College/University से सत्यापित 3. फीस की रसीद (दस्तावेज वर्तमान में अध्ययनरत सत्र के होने चाहिए) 4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र(अंकतालिका जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) 5. मूल निवास प्रमाण पत्र/परिचयपत्र/राशनकार्ड/आधार कार्ड, (कोचिंग संस्थान/इन्स्टीटयूट/टयूशन में पढने वाले विद्यार्थियों के आई.डी. कार्ड के आधार पर सुविधा नहीं)	50 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	निवास स्थान से विद्यालय तक 50 कि0मी0 हेतु साधारण/द्रुतगामी वाहनों में
22	राष्ट्रीय एवम राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को यात्री किराया में रियायत	National/ State level Awardee Teacher	1. राष्ट्रीय एवम राज्य स्तर पर पुरस्कृत षिक्षक अवार्ड प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित आगार में प्रस्तुत करने पर।	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी वाहनों में राज्य सीमा तक
23	लाईसेंस प्राप्त कुली (केवल निवास और बस स्टैंड के बीच केवल शहरी बस सेवाओं में यात्रा के लिए वैध)	Licensed Coolies of RSRTC (Valid only for travelling in City Bus Services between residence and bus stand)	1. कुली लाईसेंस एवं बिल्ला नम्बर 2. आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड 3. मूल निवास प्रमाण पत्र	50 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	नगरीय वाहनों में

24	60 वर्ष व इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। (केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में 30 प्रतिशत छूट देय– दिनांक 28.04.2014)	Senior Citizens Age limit above 60 years	1. 60 वर्ष पूर्ण का जन्म तिथि अंकित वाला प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/सेवानिवृत पेशंन प्रमाण पत्र अर्थात आयु प्रमाण पत्र + राजस्थान निवास संबंधित आई.डी.	30 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	समस्त श्रेणी की वाहनें में केवल राज्य सीमा में
25	होमगार्ड	Homeguard	1. होमगार्ड परिचय पत्र 2. आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड 3. जन्मतिथि प्रमाण पत्र 4. पासपोर्ट साईज दो फोटो	25 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी वाहनों में राज्य सीमा तक
26	मासिक पास	Monthly Pass	1. जन्म तिथि अंकित वाला प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स अर्थात आयु प्रमाण पत्र + राजस्थान निवास संबंधित आई.डी.	45 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी वाहनों में राज्य सीमा तक
27	80 साल से उपर के वरिष्ठ नागरिक	Senior Citizen above 80 Years	1. जन्म तिथि अंकित वाला प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स अर्थात आयु प्रमाण पत्र + राजस्थान निवास संबंधित आई.डी.	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	सभी वाहनों में राज्य सीमा तक
28	स्वलीनता	Autism	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
29	मल्टीपल स्कलरोसीस	Mutliple Sclerosis	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
30	प्रमस्तिष्क घात	Cerebal Palsy	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
31	क्रोनिक न्यूरोलाजिकल कण्डीशन	Cronic Neurological	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
32	बौनापन	Dwarfism	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
33	हीमोफिलिया (अधिरक्तस्त्राव)	Heamophilia	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
34	तेजाब हमला पीड़ित	Acid Attack Victim	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक

35	पार्किनास रोगी	Perkins Rogi	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
36	बहुनिःशक्ता (अन्धता एवं बहरा)	Multiple Disablities (Deaf/Blind)	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
37	स्पेसिफिकलर्निंग डिसेबलीटी	Specific Learning Disablity	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
38	थैलीसिमिया	Thalassemia	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
39	मांसपेशीय दुर्विकास	Muscular Dystrophy	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
40	सीकल सैल डिजीज	Sickle Cell Disease	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक
41	वाक् एवं भाषा निःशक्ता	Speech and Language Disablity	1. राजस्थान सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र 2. मूल निवास प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं हो 4. जन्मतिथि/आयु हेतु प्रमाण पत्र	निःशुल्क	चालीस रूपए (40)	साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में राज्य सीमा एवं संचालित सीमा तक

1	एडस रोगी (प्रतिरक्षा दमनकारी)	AIDS Patient (Immune Compromised)	इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण–पत्र के आधार पर	75 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	स्मार्ट कार्ड नहीं बनता	घर से अस्पताल तक साधारण/द्रुतगामी वाहनों में
2	कैंसर रोगी	Cancer Patient	इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण–पत्र के आधार पर	75 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	स्मार्ट कार्ड नहीं बनता	घर से अस्पताल तक साधारण/द्रुतगामी वाहनों में
3	कैंसर रोगी का एक सहयोगी	Escort of Cancer Patient	इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण–पत्र के आधार पर	50 प्रतिशत रियायत यात्री किराये में	स्मार्ट कार्ड नहीं बनता	घर से अस्पताल तक साधारण/द्रुतगामी वाहनों में

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

रियायती / निःशुल्क यात्रा हेतु आरएफआईडी पंजीकरण प्रपत्र

प्रथम नाम First Name		फोटो
मध्य नाम Midle Name		
अन्तिम नाम Last Name		
जन्म दिनांक Date of Birth (DD/MM/YYYY)		
स्थायी पता Permanent Address		
कार्ड धारक की श्रेणी Category of card holder		
पहचान हेतु प्रस्तुत प्रमाण Proof of Identity		
लिंग (स्त्री / पुरूष) Gender (Male/Female)		
दुरभाष नं. Mobile No.		
ई—मेल E-Mail		
आगार कार्यालय से प्राप्त करने पर स्मार्ट कार्ड शुल्क	रू. 40 / —	
स्मार्ट कार्ड होम डिलीवरी हेतु शुल्क	1. स्मार्ट कार्ड चार्ज राशि रू. 40 / —, डिलीवरी चार्जेज राशि रू. 75 / —, कुल रू. 115 / — 2. कार्ड घर के पते पर प्रेषित कर दिया जायेगा।	
मेरे द्वारा की गई समस्त प्रविष्टि सही है एवं मुझे सहर्ष स्वीकार है।	हस्ताक्षर	

— —

(निगम कर्मचारी द्वारा भरा जायेगा)

आवेदक का नाम . . . . पता.. . . . .

आवेदन क्रमांक . . . . .श्रेणी . . . . का प्राप्त हो गया है।

निगम कर्मचारी हस्ताक्षर
मय सील

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस, जयपुर 302001, कार्यालय दूरभाष : 0141–2374644

क्रमांकः एफ3 / मु. / सा. / आई.टी. / 45 / 2021 / 1682 दिनांक 30 / 09 / 2021

मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
. . . . आगार।

विषयः– दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ होने वाले "प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग" अभियान के संबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक क्रमांक एफ3 / मुख्या / सा. / आई.टी / 45 / 2021 / 1680 दिनांक 30.09.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की निरन्तरता में सभी मुख्य प्रबन्धकों को निम्नानुसार निर्देशित प्रसारित किये जाते हैः–

1. सभी मुख्य प्रबंधक दिनांक 02.10.2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के संदर्भ में आज ही अपने जिला प्रशासन/ स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर इन अभियानों के दौरान प्रतिदिन आयोजित किये जाने वाले शिविरों की संख्या एवं शिविर स्थल का पूर्ण विवरण प्राप्त करेगें।
2. इन शिविरों में निगम कार्मिक मौके पर ही निगम द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क /रियायती यात्रा हेतु राजस्थान के पात्र नागरिकों से RFID स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र पूर्व में जारी संदर्भित आदेश के अनुरूप तैयार करवाएगें। निगम कार्मिक द्वारा मौके पर ही उन आवेदन पत्रों की जांच कर ली जाऐं, ताकि कोई भी आवेदन पत्र बाद में पात्रता / दस्तावेजों की कमी के कारण निरस्त नहीं करना पड़े।
3. जिला प्रशासन / स्थानीय प्रशासन से प्राप्त शिविर कार्यक्रम के अनुरूप निगम के कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की ड्यूटी प्रत्येक शिविर कार्यक्रम के लिए लगाना सुनिश्चित करें।

30/9

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ3/मु./सा./आई.टी./45/2021/1682 दिनांक 30/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः—

1. विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (परिवहन), राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार।
11. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क/संचालन), राज. परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner